

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/2018/04-CM/St. 93 -1204
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

To

Dated 07.08.2018

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Starred Question No. 93 due for 10.08.2018
asked by Shri Sanjeev Jha, MLA.**

Sir,

Kind attention is invited towards letter no. F. 11(B-I)/VI/2015-20/VSS/Ques. Branch/ 4995 dated 30.07.2018 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the
aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is
concerned.

This issues with due approval of the Hon'ble Minister of Water, Govt. of
NCT of Delhi.

Encl: As above.


(Paras Ram)

Director (Admn.& Personnel)

Tel. No. 23544794(O)/Fax no. 23621738

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड
Delhi Jal Board

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या :- 93

दिनांक :- 10.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री संजीव झा, विधायक

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या दिल्ली जल बोर्ड ने बुराड़ी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हेतु राजस्व विभाग से जमीन के लिए प्रार्थना की है ;	जी हाँ।
(ख)	यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;	इस परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाटर बॉडी में निर्माण कार्य के प्रतिबन्ध के कारण भूमि के स्थान में बदलाव की वजह से निविदाएं रद्द कर दी गयी है। राजस्व विभाग द्वारा नयी भूमि उपलब्ध कराने के बाद एस्टीमेट दोबारा बनाया जायेगा।
(ग)	क्या इस उद्देश्य के लिए भूमि आबंटित कर दी गयी है; और	जी नहीं। राजस्व विभाग ने अभी तक कोई भूमि आबंटित नहीं की है।
घ)	यदि नहीं, तो इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं ?	दिल्ली जल बोर्ड, राजस्व विभाग के साथ मिलकर वैकल्पिक भूमि को चिन्हित/आबंटन के लिए प्रयासरत् है। राजस्व विभाग के रिकार्ड अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट / सीवेज पम्पिंग स्टेशन के लिए उचित / पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण आबंटन में देरी हो रही है।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

Director (A&P)

दिल्ली जल बोर्ड
Water Board